उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर 3/अधि0/परि0संशो0/2017 दिनांक: 25 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 17वीं बैठक दिनांक 25 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या-17.14 एवं 17.15 में पारित निर्णय के अनुसार महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 20 से 23 तथा परिनियम 25-13(अ) में विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था एवं परिनियम 28 तथा 29 में शिक्षकों के कैरियर अभिवर्धन योजना से संबंधित व्यवस्था में परिनियमावली में पूर्ण रूप से संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अत: विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 20 से 23 तथा परिनियम 25-13(अ) एवं 28 तथा 29 में पूर्ण संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते है।

25.1.18
(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के सचिव को उनके पत्र संख्या-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण।
5. वित्त नियंत्रक।
6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
7. आई0सी0टी0 प्रकोष्ठ।
8. अधिष्ठान।
9. संबंधित पत्रावली।

25.1.18
(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर 3/अधि0/परि0संशो0/2017-18 दिनांक: 17.04.2018

संशोधित कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 7वीं बैठक दिनांक 27 जून, 2015 में प्रस्ताव संख्या-7.22.3 एवं कार्य परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015 के प्रस्ताव संख्या-12.04 में पारित निर्णय के अनुसार महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-42/जी0एस0/शिक्षा/सी7-13/2018, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-पॉच परिनियम 13(7) में वर्णित विद्याशाखाओं में क्रमांक 04 पर वर्णित **विज्ञान** विद्याशाखा के अन्तर्गत प्राविधानित विभागों में आंशिक संशोधन एवं क्रमांक 14 पर नवीन विद्याशाखा **"भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान"** एवं उसके अन्तर्गत विभागों के समावेशन के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या- यूओयू/आर3/अधि0/परि0संशो0/2017, दिनांक 16.04.2018 में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं:-

<table>
<tr><th colspan="2">परिनियम में पूर्व स्थापित व्यवस्था</th><th colspan="2">परिनियम में संशोधनोपरान्त स्थापित व्यवस्था</th></tr>
<tr><th>विद्याशाखा का नाम</th><th>अनुमोदित विभाग</th><th>विद्याशाखा का नाम</th><th>अनुमोदित विभाग</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5. विज्ञान</td><td rowspan="2">• वनस्पति विज्ञान विभाग
• रसायन विज्ञान विभाग
• वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग
• भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग
• गणित विभाग
• भौतिकी विज्ञान विभाग
• प्राणी विज्ञान विभाग
• भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग</td><td>4. विज्ञान</td><td>• वनस्पति विज्ञान विभाग
• रसायन विज्ञान विभाग
• गणित विभाग
• भौतिकी विज्ञान विभाग
• प्राणी विज्ञान विभाग</td></tr>
<tr><td>14. भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान</td><td>• भूगर्भ विज्ञान विभाग
• वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग
• भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग
• भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग</td></tr>
</table>

अत: विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय- पॉच परिनियम 13(7) में उपर्युक्तानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते है।

17/4/18
(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल द्वारा प्रेषित:-

1. महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के सचिव को उनके पत्र संख्या-42/जी0एस0/शिक्षा/सी7-13/2018, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण।
5. वित्त नियंत्रक।
6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
7. आई0सी0टी0 प्रकोष्ठ।
8. संबंधित पत्रावली।

17/4/18
(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर 3/अधि0/परि0संशो0/2017 दिनांक: 22 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव संख्या-24.06 में पारित निर्णय के अनुसार माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के संयुक्त सचिव के पत्रांक-850/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-13/2013, दिनांक 12 जून, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 32(6) में वर्णित 135 दिवस के प्रसूति छुट्टी को 180 दिवस का मातृत्व/प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने की माननीय कुलाधिपति जी द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 32(6) में पूर्ण संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

(भरत सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषितः-

1. माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के संयुक्त सचिव को उनके पत्र संख्या-850/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-13/2013, दिनांक 12 जून, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण।
5. वित्त नियंत्रक।
6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
7. आई0सी0टी0 प्रकोष्ठ।
8. अधिष्ठान।
9. संबंधित पत्रावली।

(भरत सिंह)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर 3/अधि0/परि0संशो0/2020 दिनांक: 18 जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या-25.16 में पारित निर्णयानुसार माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के सचिव (प्रभारी) के पत्रांक-187/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-26/2019, दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)'अ' में वर्णित 'चयन के लिए अंकों का निर्धारण' के संबंध में निम्नवत् संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने की माननीय कुलाधिपति जी द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

"चयन प्रक्रिया के लिए अंको का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 में बिहित प्रक्रियानुसार (समय-समय पर संशोधनों सहित) निर्धारित नियम जो सरकार द्वारा अंगीकृत/ अनुमोदित हों, लागू होंगे, के अनुरूप किया जायेगा।"

अत: विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)'अ' में उपरोक्तानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

18/06/20XX
(भरत सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के सचिव (प्रभारी) के पत्रांक-187/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-26/2019, दिनांक 27 मई, 2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण।
5. वित्त नियंत्रक।
6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
7. आई0सी0टी0 प्रकोष्ठ।
8. अधिष्टान।
9. संबंधित पत्रावली।

18/06/20XX
(भरत सिंह)
कुलसचिव